

प्रेषक,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- आयुक्त एवं निदेशक
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग 2

लखनऊ: दिनांक 19 फरवरी, 2021

विषय-जेम पोर्टल से मैनपावर आउटसोर्सिंग क्रय करने हेतु विभागों को सुझाव।

महोदय,

प्रदेश के शासकीय विभागों में सामग्री/सेवाओं के क्रय हेतु भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेण्ट ई-मार्केट प्लेस (जेम) की व्यवस्था को अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 23.08.2017 निर्गत किया गया है। विभिन्न शासकीय विभागों तथा उनके अधीनस्थ संस्थानों में आउटसोर्सिंग के आधार पर मानव संसाधन आपूर्ति किये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-क-2/2019, दिनांक 18-12-2019 तथा श्रम विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-717/छत्तीस-5-2020-8(26)/2020, दिनांक 18-8-2020 व उक्त सेवार्यें जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-31/2020/273/18-2-2020-97(ल030)/2016 टीसी, दिनांक 25.08.2020 एवं शासनादेश संख्या-42/2020/ई-153/18-2-2020-97(ल030)/2016 टीसी, दिनांक 07.12.2020 निर्गत किये गये हैं।

2- अवगत कराना है कि जेम पोर्टल से प्राप्त विवरण से यह संज्ञान में आया है कि जेम पोर्टल से मैनपावर आउटसोर्सिंग सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करने में कतिपय विभागों को विभिन्न कठिनाईया आ रही हैं यथा-जेम पोर्टल पर एक से अधिक संख्या में एल-1 आना, बिड निरस्त करने का स्पष्ट कारण न देना, एम0एस0ई0 इकाईयों को ई0एम0डी0 से छूट, अनावश्यक शर्तें लगा देना आदि। उक्त के सम्बन्ध में निम्नवत सुझाव हैं, जिनके माध्यम से जेम पोर्टल पर सुविधापूर्वक क्रय किया जा सकता है:-

(1) जेम पोर्टल पर एक से अधिक L-1 आने पर बिडर के चयन हेतु Run L-1 Tool का प्रयोग करना अनिवार्य है, सफल बिडर का चयन मैनुअली नहीं किया जायेगा, जिस हेतु शासनादेश संख्या-31/2020/273/18-2-2020-97 (ल030)/2016टी.सी. दिनांक 25.08.2020 में व्यवस्था की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(2) जेम पोर्टल पर बिड में ई0एम0डी0 से छूट दिया जाना, जबकि शासनादेश संख्या-42/2020/ई-153/18-2-2020-97(ल030)/2016टी0सी0, दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 में स्पष्ट है कि किसी भी श्रेणी की इकाई को ई0एम0डी0 से छूट/शिथिलता अनुमन्य नहीं है।

(3) बिड/निविदा में सफल निविदादाता द्वारा ई0पी0वी0जी0 जमा कराया जाना आवश्यक है। ई0पी0वी0जी0 में किसी भी श्रेणी की इकाई के लिए छूट अनुमन्य नहीं है। इसके द्वारा सेवाप्रदाता को बिड की शर्तें पूर्ण न करने पर क्रेता द्वारा बैंक गारंटी से उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है।

(4) बिड में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों को उनकी तकनीकी बिड निरस्त करने के स्पष्ट कारण का उल्लेख किया जाना चाहिए, जैसा कि शासनादेश संख्या-42/2020/ई-153/18-2-2020-97(ल030)/2016टी0सी0, दिनांक 07 दिसम्बर 2020 में उल्लिखित है।

(5) जेम पोर्टल पर बिड/निविदा पूर्ण हो जाने पर निविदा को बिना किसी ठोस कारण के निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश बिड निरस्त करनी आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही बिड निरस्त की जानी चाहिये।

(6) बिड/निविदा हेतु सेवा प्रदाता के लिए अर्ह न्यूनतम सेवा शुल्क 4-5% है। अतः इससे कम सेवा शुल्क निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। उक्त व्यवस्था हेतु शासनादेश संख्या-42/2020/ई-153/18-2-2020-97(ल030)/2016टीसी, दिनांक 07 दिसम्बर 2020 में प्राविधान किया गया है।

(7) क्रेता द्वारा सफल बिड/निविदा में प्रतिभाग करने वाली इकाईयों की जांच इस दृष्टिकोण से भी की जानी चाहिए कि प्रतिभाग करने वाली इकाईयाँ कहीं एक ही व्यक्ति की तो नहीं है।

(8) बिड/निविदा में प्रतिभाग करने वाली इकाईयों को ई0एम0डी0 अथवा अन्य प्रपत्रों की हार्डकापी उपलब्ध न कराने की स्थिति में तकनीकी रूप से असफल घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

(9) शासनादेश संख्या-31/2020/273/18-2-2020-97(ल030)/2016टी.सी., दिनांक 25.08.2020 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मियों को ही जेम पोर्टल द्वारा चयनित सेवाप्रदाताओं द्वारा रखा जायेगा। केवल नवीन कर्मियों का चयन सेवायोजन पोर्टल से ही अनिवार्य रूप से किया जायेगा। क्रेता द्वारा इसका परीक्षण किया जाना चाहिए कि सेवा प्रदाता नये कर्मियों को सेवायोजन पोर्टल से ही चयनित करें तथा पुराने कर्मियों को भी सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकृत कराये।

(10) क्रेता द्वारा बिड बनाने से पूर्व जेम पोर्टल पर उपलब्ध सम्बन्धित ATC (Additional Terms and Conditions) का भलीभांति अध्ययन कर लेना चाहिए, जिससे अनावश्यक शर्तें (यथा- टोलफ्री नम्बर, OEM Turnover की मांग आदि) जो सेवा क्षेत्र में अनुमन्य नहीं हैं, न लगायी जायं।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त मैनपावर आउटसोर्सिंग से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 25 अगस्त, 2020 एवं 07 दिसम्बर, 2020 में वर्णित प्रविधानों एवं सम्बन्धित जेम की ATC (Additional Terms and Conditions) के अनुरूप ही बिड बनाने हेतु अपने अधीनस्थ विभागों/संस्थाओं को निर्देशित करें तथा पूर्व में की गयी निविदाओं/बिड्स का उपरोक्त शासनादेशों के आलोक में परीक्षण करा लें एवं जिन प्रकरणों में शासनादेशों से विचलन है, उन्हें निरस्त करते हुये सम्बन्धित उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के साथ ही सम्बन्धित फर्मों को क्रेता द्वारा जेम पोर्टल पर डिलिस्ट करने हेतु निर्देश देने तथा उक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

की सूचना ई-मेल msmesec2@gmail.com व gemcellup@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।